मनरेगा योजना

प्रिलिम्स के लिये:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS), कोविड-19, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)

मेन्स के लिये:

मनरेगा योजना, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, विकास से संबंधित मुद्दे।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक ऐतिहासिक वृद्धि है।

मनरेगा (MGNREGA) में महिलाओं की भागीदारी के रुझान क्या हैं?

महिला भागीदारी रुझान:

पिछले दशक में महिलाओं की भागीदारी में क्रमिक वृद्धि हुई है, जिसका प्रतिशत वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के प्रकोप के दौरान 53.19% से बढ़कर वर्तमान 59.25% हो गया है।

केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा जैसे दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी की दर उल्लेखनीय रूप से उच्च है, जो 70% से अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्य लगभग 40% या उससे कम हैं।

ऐतिहासिक असमानताओं के बावजूद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप जैसे कुछ राज्यों ने चालू वित्तीय वर्ष में महिलाओं की भागीदारी दरों में वृद्धिशील प्रतिशत के कारण हाल ही में सुधार दिखाया है।

ग्रामीण श्रम बल के रुझान:

MGNREGS से परे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है।

उल्लेखनीय आँकड़े बताते हैं कि ग्रामीण महिला LFPR में सत्र 2017-18 में 18.2% से बढ़कर सत्र 2022-23 में 30.5% हो गई है, साथ ही इसी अवधि के दौरान महिला बेरोज़गारी दर में 3.8% से 1.8% की गिरावट आई है।

MGNREGA योजना क्या है?

परिचय:

MGNREGA ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किये गए विश्व के सबसे बड़े रोज़गार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।

यह योजना न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्यों से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक सौ दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।

सक्रिय कर्मचारी: 14.32 करोड़ (सत्र 2023-24)

प्रमुख विशेषताएँ:

MGNREGA के डिज़ाइन की आधारशिला इसकी कानूनी गारंटी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी ग्रामीण वयस्क कार्य के लिये अनुरोध कर सकता है और उसे 15 दिनों के भीतर कार्य मिलना चाहिये।

यदि यह प्रतिबद्धता पूरी नहीं होती है, तो "बेरोज़गारी भत्ता" प्रदान किया जाना चाहिये।

इसके लिये आवश्यक है कि महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जाए कि कम से कम एक तिहाई महिलाएँ लाभार्थी हों जिन्होंने पंजीकरण कराकर काम के लिये अनुरोध किया हो।

MGNREGA की धारा 17 में मनरेगा के तहत निष्पादित सभी कार्यों का सामाजिक लेखा-परीक्षण अनिवार्य है।

क्रियान्वित संस्था:

भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय (MRD) राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है।

उद्देश्य:

यह अधिनियम ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अर्ध या अकुशल कार्य प्रदान करना है।

यह देश में अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करता है।

2022-23 की उपलब्धियाँ:

इससे देशभर में लगभग 11.37 करोड़ परिवारों को रोज़गार मिला है।

इसमें से 289.24 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोज़गार उत्पन्न हुआ है, जिसमें:

56.19% महिलाएँ

19.75% अनुसूचित जाति (SC)

17.47% अनुसूचित जनजाति (ST)

योजना के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ क्या हैं?

धन वितरण में विलंब और अपर्याप्तता:

अधिकांश राज्य मनरेगा द्वारा अनिवार्य 15 दिनों के भीतर मज़दूरी का भुगतान करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा, मज़दूरी के भुगतान में देरी के लिये श्रमिकों को मुआवज़ा नहीं दिया जाता है।

इसने योजना को आपूर्ति-आधारित कार्यक्रम में बदल दिया है और इसके बाद, श्रमिकों ने इसके तहत काम करने में रुचि लेना बंद कर दिया है।

वित्त मंत्रालय की स्वीकारोक्ति सहित अब तक पर्याप्त सबूत हैं कि वेतन भुगतान में देरी अपर्याप्त धन का परिणाम है।

जाति आधारित अलगाव:

जाति के आधार पर विलंब में महत्त्वपूर्ण भिन्नताएँ थीं। अनुसूचित जाति के श्रमिकों को 46% और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिये 37% भुगतान अनिवार्य सात दिनों की अवधि में पूरा किया गया था, जबकि यह गैर-ST/SC श्रमिकों के लिये निराशाजनक (26%) था।

जाति-आधारित अलगाव का नकारात्मक प्रभाव मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे निर्धन राज्यों में विशेष तौर पर महसूस किया गया।

PRI की अप्रभावी भूमिका:

बहुत कम स्वायत्तता के कारण पंचायती राज संस्थान (PRI) इस अधिनियम को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने में सक्षम नहीं हैं।

बड़ी संख्या में अपूर्ण कार्य:.

मनरेगा के तहत कार्यों को पूर्ण करने में देरी हुई है और परियोजनाओं का निरीक्षण अनियमित रहा है। साथ ही, मनरेगा के तहत कार्य की गुणवत्ता और संपत्ति निर्माण का भी मुद्दा है।

जॉब कार्ड का निर्माण:

फर्ज़ी जॉब कार्डों की मौजूदगी, फर्ज़ी नामों को शामिल करना, गायब प्रविष्टियाँ और जॉब कार्ड में प्रविष्टियाँ करने में देरी से संबंधित कई मुद्दे हैं।

मनरेगा के अंतर्गत कौन-सी पहल हैं?

अमृत सरोवर: इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ज़िले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों (तालाबों) का निर्माण/नवीनीकरण करना है जो सतही तथा भूमिगत दोनों जगह जल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेंगे।

'जलदूत' ऐप: इसे 2-3 चयनित खुले कुओं के माध्यम से वर्ष में दो बार किसी ग्राम पंचायत में जल स्तर का मापन करने के लिये सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था।

MGNREGS के लिये लोकपाल: MGNREGS के कार्यांवयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग तथा वर्गीकरण के लिये फरवरी 2022 में लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया।

आगे की राह

पारदर्शी एवं समय पर वेतन भुगतान के लिये डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाते हुए राज्यों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को निरंतर निधि प्रवाह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

बहिष्करण त्रुटियों पर ध्यान केंद्रित करना तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ हाशिये पर रहने वाले SC और ST परिवार मनरेगा के लाभों से वंचित हैं।

विधानसभाओं, नागरिक समाज तथा श्रमिक संघों के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी को शामिल करते हुए सूचित निर्णयों के लिये राज्य एवं केंद्रीय रोज़गार गारंटी परिषदों को सशक्त बनाना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम" से लाभ पाने के पात्र हैं? (2011)

(A) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य।

(B) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के वयस्क सदस्य।

(C) सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य।

(D) किसी भी घर के वयस्क सदस्य।

उत्तर: (D)

व्याख्या:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee- MGNREGA), जो विश्व का सबसे बड़ा रोज़गार गारंटी कार्यक्रम है, को वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्रतिवित्त न्यूनतम 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देना था, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से कार्य करते हैं।

इसका उद्देश्य किये गए 'कार्यों' (परियोजनाओं) के माध्यम से निर्धनता के कारणों को संबोधित करना और सतत् विकास सुनिश्चित करना है। पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को इन कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

अतः विकल्प D सही उत्तर है।

INS इंफाल

प्रीलिम्स के लिये:

INS इंफाल, भारतीय नौसेना, **INS सूरत**, **ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल**, **15B परियोजना**

मेन्स के लिये:

रक्षा प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में INS (Indian Naval Ship- भारतीय नौसेना जहाज) इंफाल (पेनांट D68) को **भारतीय नौसेना में शामिल** किया गया है।

//

INS इंफाल क्या है?

- **परिचय:**
  - INS इंफाल चार **'प्रोजेक्ट 15 ब्रावो विशाखापत्तनम क्लास'** गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में से तीसरा है।
    - चौथे प्रोजेक्ट का नाम INS सूरत होगा।
  - INS इंफाल **दुनिया में सबसे तकनीकी रूप से उन्नत निर्देशित मिसाइल विध्वंसक** में से एक है।
  - इसे **20 अप्रैल, 2019 को लॉन्च किया गया और इसका नाम 'इंफाल'** रखा गया।
- **विशेषताएँ:**
  - 7,400 टन के विस्थापन के साथ जहाज़ की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है तथा यह भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों

में से एक है।
  - यह संयुक्त गैस और गैस विन्यास में **चार शक्तिशाली गैस टरबाइनों** द्वारा संचालित है तथा 30 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है।
  - यह दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल **ब्रह्मोस** को लॉन्च करने में सक्षम है।
  - यह जहाज़ **परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध स्थितियों में लड़ने के लिये भी सुसज्जित** है।
  - यह **अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है**, जिसमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, पनडुब्बी रोधी युद्ध रॉकेट लॉन्चर (ASW) और टॉरपीडो लॉन्चर, ASW हेलीकॉप्टर, रडार, सोनार एवं **इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम** शामिल हैं।
- **महत्त्व:**
  - जहाज़ **"जलमेव यस्य, बलमेव तस्य"** के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जिसका अर्थ है कि **समुद्र को नियंत्रित करने से अपार शक्ति** मिलती है। **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र** में जहाँ कई शक्तियाँ प्रभाव डालने के लिये प्रतिबद्ध हैं, INS इंफाल स्वयं को एक महत्त्वपूर्ण समुद्री अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित करने के भारत के प्रयासों में योगदान देता है।
  - हिमालय जैसी भौगोलिक बाधाओं और पड़ोसी देशों की चुनौतियों के कारण भारत **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये समुद्री मार्गों पर बहुत अधिक निर्भर** है।
    - INS इंफाल इन महत्त्वपूर्ण **समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने**, व्यापार जहाज़ों के लिये सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने और इस तरह भारत के आर्थिक हितों की रक्षा करने में सहायता करता है।

15B परियोजना क्या है?

- भारत का **स्वदेशी विध्वंसक पोत निर्माण कार्यक्रम** वर्ष 1990 के दशक के अंत में **तीन दिल्ली श्रेणी (P-15 वर्ग) युद्धपोतों** के साथ शुरू हुआ तथा इसके एक दशक बाद **तीन कोलकाता श्रेणी (P-15A)** विध्वंसक युद्धपोतों को शामिल किया गया।
  - वर्तमान में **15A परियोजना** में प्राप्त सफलता एवं तकनीकी प्रगति के बाद, P-15B (विशाखापत्तनम श्रेणी) के तहत **कुल चार युद्धपोतों** (**विशाखापत्तनम, मोर्मुगाओ, इम्फाल, सूरत**) की योजना बनाई गई है।
- 15B परियोजना का लक्ष्य कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों के उन्नत संस्करण को **विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक** के रूप में निर्मित करना था।
  - इस श्रेणी की पहचान **इसके प्रमुख पोत** के नाम से की जाती है **इसलिये इसे विशाखापत्तनम श्रेणी के रूप में जाना जाता है।**
- प्रोजेक्ट 15B के तहत, **तकनीकी प्रगति और हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य प्रणालियों में सुधार** को शामिल **करते हुए पुराने जहाज़ों की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य** से जनवरी 2011 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- **प्रोजेक्ट 15B का प्रमुख जहाज़ INS विशाखापत्तनम (पेनांट नंबर D66)** है, जिसे नवंबर 2021 में चालू किया गया था।
  - **INS मोर्मुगाओ (D67)** दिसंबर 2022 में कमीशन/प्रमाणित किया गया दूसरा जहाज़ है और **INS सूरत** (कमीशन पर D69 नामित किया जाएगा) को मई 2023 में लॉन्च किया गया था।
- इन जहाज़ों को **भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो** द्वारा निर्मित किया गया है और मुंबई में मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDSL) द्वारा निर्मित किया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/28-12-2023/print